कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522–234001 Website- www.datiamedicalcollege.com
E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com & datiamedicalcollege2018@gmail.com
पता– 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिनकोड – 475661

पत्र क्रमांक – 6318 /द.चि.म./2021 दतिया, दिनांक – 06/08/2021

//नियुक्ति आदेश//

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया को एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त वरीयता सूची अनुसार स्थानीय छानबीन समिति (स्क्रूटनी समिति) के द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का चयन स्टाफ नर्स के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक 7वें वेतनमान मेट्रिक अनुसार–28700 लेवल–7 प्रतिमाह एवं शासन द्वारा समय–समय पर देय भत्तों पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित वर्णित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है। अभ्यर्थियों के नाम एवं अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	आवेदन क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग
1.	DMC 0421000964	विजया सिंह	श्री संतवान सिंह	अनुसूचित जनजाति
2.	DMC 0421001126	प्रेरणा जोएल	श्री सुनील जोएल	
3.	DMC 0421000806	ममता सिंह	श्री लालदेव सिंह	
4.	DMC 0421001379	रंजिता भाबर	श्री भावसिंह भाबर	
5.	DMC 0421001020	ज्योति गोंड़	श्री गोपाल गोंड़	
6.	DMC 0421001056	कुन्ती सोनवानी	श्री शोभना लाल सोनवानी	
7.	DMC 0421000119	ममता मुजालदे	श्री लालसिंग	
8.	DMC 0421000566	जम्मा सोलंकी	श्री नरसिंग सोलंकी	
9.	DMC 0421000479	संजू निगवाल	श्री भरत निगवाल	
10.	DMC 0421000468	मीरा गोयल	श्री छगनसिंह गोयल	
11.	DMC 0421001347	रेखा वसुनिया	सवसिंह वसुनिया	
12.	DMC 0421000815	अनीता गर्वाल	बाबूलाल गर्वाल	
13.	DMC 0421000161	शिवानी परिहार	श्री रमेश परिहार	अनुसूचित जाति
14.	DMC 0421000157	जिनी	श्री श्यामलाल बावरिया	
15.	DMC 0421000363	जूली प्रजापति	श्री नंदराम प्रजापति	
16.	DMC 0421000655	ज्योति हंसलाल अंगारे	श्री हंसलाल अंगारे	
17.	DMC 0421000405	विनीता धनवारे	श्री घनश्याम धनवारे	
18.	DMC 0421000675	रिंकी महोबिया	श्री बालकृष्ण महोबिया	
19.	DMC 0421000499	दीपिका	श्री वीरेन्द्र सिंह	
20.	DMC 0421001487	स्नेहा पुरोहित	श्री ब्रजेन्द्र कुमार पुरोहित	सामान्य
21.	DMC 0421000664	योगिता सेमसन	श्री रवि सेमसन	
22.	DMC 0421001182	सोनाली मिश्रा	श्री निरंजन प्रसाद मिश्रा	
23.	DMC 0421000366	रचना शर्मा	श्री विद्याभूषण शर्मा	
24.	DMC0421000115	शिल्पी दुबे	श्री राकेश कुमार दुबे	सामान्य (ई.डब्ल्यू.एस.)

उक्त नियुक्ति स्वशासी भर्ती नियमों की निम्न शर्तों के अधीन होगी :–

1. चयनित प्रत्याशी को **आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस के अंदर** कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।
2. चयनित प्रत्याशी को **ज्वॉईनिंग के समय** न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएँ देने हेतु सेवा **अनुबंध सह–प्रतिभूति (बॉण्ड फॉर्म) पत्र** निष्पादित कर संस्था में जमा करना अनिवार्य है। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन तथा भत्तों/ मानदेय के बराबर की राशि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया को चुकानी होगी। यह देय राशि न चुकाने की दशा में संबंधित से भू–राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।
3. सेवाएँ किसी भी समय (नियुक्तिकर्ता द्वारा) एक पक्ष, 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
4. चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व./महिला, विकलांग एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।

निरंतर.......................2

6. नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
7. ज्वॉईनिंग के समय जिला मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अंकसूची एवं अन्य दस्तावेज जो आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, के सत्यापन में यदि प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हो तो सेवाएँ बिना किसी नोटिस के स्वमेव समाप्त हो जावेगी एवं आपके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
8 .उपस्थिति दिनांक को सम्पूर्ण प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति जमा करनी होगी एवं मेरे द्वारा पूर्णतः सत्य जानकारी दी गई है तथा कोई भी कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिनमें फेरबदल किया गया है। इस आशय का **शपथ पत्र** भी प्रारूप के अनुसार इस कार्यालय में प्रमाण पत्रों के साथ जमा कराना सुनिश्चित करें।
9. आप किसी भी राजनैतिक एवं विवादित गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, यदि यह पाया जाता है कि आप विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधियों में लिप्त हैं तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
10. एक बार संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाएँ अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
11. चयनित प्रत्याशी को अपनी उपस्थिति 10 दिवस के अंदर कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया को देना अनिवार्य होगा।
12. आपके दस्तावेजों पर यदि किसी के द्वारा कोई आपत्ति ली जाती है/विवाद उत्पन्न होता है एवं वह सत्य पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।
13. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक सी–3–13/2019/03/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 के अनुसार परीवीक्षा अवधि में नियुक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत स्टायफंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
14. उक्त पद पर चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय अहर्ता संबंधी दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा।
15. अभ्यर्थी को अपना चरित्र प्रमाण पत्र अपने निवास क्षेत्र के थाने/कोतवाली, प्रभारी से पुलिस विभाग द्वारा प्रोफार्मा में सत्यापन करवाकर संस्था में जमा कराना होगा, अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया (म.प्र.)
दतिया, दिनांक –06/08/2021

पृष्ठांकन क्र. –6318–25 /द.चि.म./2021

<u>प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।</u>

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
2. आयुक्त, संभाग–ग्वालियर एवं अध्यक्ष, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, दतिया।
3. कलेक्टर, जिला–दतिया, दतिया म.प्र.।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
5. स्थापना शाखा, स्थानीय कार्यालय।
6. लेखा शाखा, स्थानीय कार्यालय।
7. संबंधित चयनित अभ्यर्थी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित्।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया (म.प्र.)